

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 17 सन 2020

अनवान :-

1. डुगरमल उर्फ डुगरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वादत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.8070हैक् भूमि सयुक्त खाते दर्ज है का प्रार्थी 5/19 हिस्सा खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण डुगरमल गलत तौर से दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम डुगरराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , मुल निवास सभी में प्रार्थी का नाम डुगरराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थी का नाम डुगरमल उर्फ डुगरराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.8070हैक् भूमि सयुक्त खाते दर्ज है का प्रार्थी 5/19 हिस्सा खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण डुगरमल गलत तौर से दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम डुगरराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपस्थित अधिवक्ता
नोहर

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , गुल निवास सभी में प्रार्थी का नाम डुगरराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है


पेरोकार राज ने अपनी वहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की वहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता सख्या 83/82 की कुल 4.8070हैक् भूमि सयुक्त खाते दर्ज है का प्रार्थी 5/19 हिस्सा खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम डुगरमल दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम डुगरराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में वादी का नाम डुगरराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता सख्या 83/82 की कुल 4.8070हैक् भूमि सयुक्त खाते में प्रार्थी 5/19 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थी नाम डुगरमल पुत्र देवीलाल दर्ज के स्थान पर डुगरमल उर्फ डुगरराम पुत्र देवीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/09/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/13629A/17

दिनांक :- 7.9.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 17/2020 अनवानी डुगरमल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. डुगरगल उर्फ डुगरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चारणवासी साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 17/2020 अनवानी डुगरगल बनाम सरकार में दिनांक 07/09/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.8070 हेक् भूमि सयुक्त खाते में प्रार्थी 5/19 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थी नाम डुगरमल पुत्र देवीलाल दर्ज के स्थान पर डुगरमल उर्फ डुगरराम पुत्र देवीलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)